न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

इजलास मिथलेश कुमार, आरएएस

प्रकरण सं0 26/2020/251 (ए) आरटीए

1. इन्द्रा देवी पत्नि मंशाराम उम्र 55 वर्ष
2. राजेश कुमार पुत्र मंशाराम उम्र 36 वर्ष
3. सुधीर पुत्र मंशाराम उम्र 28 वर्ष
4. सुमन देवी पत्नी स्व. सुभाष उम्र 32 वर्ष
5. आयुष पुत्र स्व. सुभाष नाबालिग जरिये माता सुमन देवी

समस्त जाति जाट निवासीगण रामपुरा तहसील धोद जिला सीकर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. धीसा पुत्र जोधा
2. विमला पत्नी स्व. काना
3. रोहिताश पुत्र काना
4. श्रीपाल पुत्र जोधा

   समस्त जाति जाट निवासीगण रामपुरा तहसील धोद जिला सीकर
5. तहसीलदार, धोद मु. सीकर जिला सीकर
6. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सीकर

—अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति—

1. श्री झाबरमल रायल, वकील प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री रघुनाथसिंह, वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक— 03.03.2021

01. वकील प्रार्थीगण की ओर से आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त भूमि खसरा सं. 267 रकबा 2.1000 हेक्टेयर वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का पुरा बड़ी तहसील धोद की तन में अवस्थित है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 पैतृक आराजी भूमि खसरा सं. 268 रकबा 1.02 हेक्टेयर वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का पुरा बड़ी तहसील धोद की तन में अवस्थित है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 267 में आवागमन हेतु मौके पर कटानी रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण रामपुरा से बडी पुरा जाने वाली सड़क से अप्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 268 के अन्दर दक्षिण सींव के सहारे—सहारे जाकर अपनी भूमि में काश्त करते हैं उक्त रास्ता कटानी का नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के आवागमन के कारण आना कानी करते है तथा आवागमन में अक्सर बाधा उत्पन्न करते है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को रास्ता पेटे भूमि के बदले अपने खेत में से [illegible] या डीएलसी दर से भी नकद भुगतान करने को तत्पर है, लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा आना कानी करने [illegible] प्रार्थीगण को

उपखण्ड अधिकारी

धोद मु. सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.03.24 15:24:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय हाजा में प्रार्थना-पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा सं. 267 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 268 में से A to B 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाया जाना व उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में अंकन किया जावें। प्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 267 में आवागमन का अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम है। आवेदन न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एव क्षेत्राधिकार का होने से आवेदन उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 268 की दक्षिणी सींव के सहारे-सहारे A to B 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन हेतु राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावें।

02. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहसीलदार को प्रकरण में रिपोर्ट हेतु लिखा गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की ओर से अभिभाषक श्री रघुनाथ सिंह, उपस्थित हुये, अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की ओर से जवाब पेश न कर सीधी बहस का निवेदन किया गया तथा प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। प्रकरण में तहसीलदार, धोद के पत्रांक/भू.अ./2021/239 दिनांक 15.01.2021 के द्वारा के द्वारा विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई।

03. बहस उभयपक्ष से सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने यह कथन किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भूमि के बदले रास्ता दिये जाने में उभयपक्ष सहमत है। उसी अनुरूप रास्ते का आदेश दिया जावे।

04. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रामपुरा के खसरा सं. 267 के लिए आवागमन के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ता दिये जाने की अभिशंषा की जाती है।

अतः तहसीलदार, धोद की नक्शा सहित प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि-

(अ) तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट दिनांकित 11.01.2021 में दर्शित नजरी नक्शे के अनुसार ग्राम रामपुरा तहसील धोद जिला सीकर के प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 267 में आवागमन के लिए भूमि खसरा सं. 268 रकबा 1.02 हेक्टेयर में से रकबा 0.03 हेक्टेयर (संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से **A** से **B** अंकित चौड़ाई 11 फीट) किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस अनुरूप नक्शे में रास्ते का अंकन किया जाये।

(ब) ख.नं. 268 में से रास्ते मे गई भूमि कम करते हुए नवीन रास्ते को पृथक बट्टा नम्बर नियमानुसार आवंटित किया जाये तथा किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुए रास्ते को सिवायचक खाते (रास्ते/पगडंडियां आदि) मे दर्ज किया जाये।

(स) उक्त प्रस्तावित रास्ते के बदले प्रार्थीगण की आराजी खसरा सं. 267 रकबा 2.1000 हेक्टेयर में से रकबा 0.03 हेक्टेयर (संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से **C** से **D** अंकित) भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट से इस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.03.24 15:24:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय को अवगत करावें। तहसीलदार, धोद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। तदनुसार पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु॰ सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... न्यायालय सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.03.24 15:24:55 IST
Reason: SelfAttested